

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-डॉ. अमित यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-1.82../2023
जी.सी.एम.एम. पोर्टल नम्बर- 2023/.....2.59..

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|--|------|--|
| लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स प्रा.लिमिटेड पूर्व में कंपनी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा. लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 2-डी एफ एल टॉवर गोपीनाथ मार्ग एम.आई.रोड, जयपुर 302001 में स्थित व कार्यरत है। | | 1. सीता राम मेघवाल पुत्र राम दयाल मेघवाल 2. रसाली देवी पत्नी सीता राम मेघवाल पता-184, भाटीयों का बास, ग्राम शिव पोस्ट गोटन तहसील मेडता सिटी 3. नाथू राम मेघवाल पुत्र तेजा राम मेघवाल पता-280, मेघवालों का मौहल्ला, नागडी तहसील खीवसर |

आदेश

दिनांक: 10/10/2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को लोन खाता संख्या PL 7180 में ऋण राशि रुपये 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.04.2019 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति - सीता राम मेघवाल पुत्र श्री राम दयाल मेघवाल मालिक सम्पति प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग, प्लॉट नं. 06 और 07, श्री रामदेव कौलोनी, मौजा ग्राम शिव तहसील मेडता जिला नागौर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 368.05 वर्ग गज है, सम्पति विवरण प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग पूर्व में- प्लॉट नं. 03 छोटा राम पुत्र हरजी राम, पश्चिम में-प्लॉट नं. 04 का शेष भाग, उत्तर में- निकाल एवं ग्रामीण सडक, दक्षिण में-छोटा राम पुत्र हरजी राम का प्लॉट नं. 06 एवं प्लॉट नं. 06 व 07 पूर्व में-केशुडी का प्लॉट नं. 08 एवं 09, पश्चिम में-प्लॉट नं. 05, उत्तर में-मिवुडी पत्नी भंवरू राम का प्लॉट नं. 02 एवं भंवरी पत्नी छोटा राम का प्लॉट नं. 03 एवं प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग, दक्षिण में-निकाल रास्ता 25 फिट, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 05.01.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाता PL 7180 में बकाया रुपये 20,06,170/- (अक्षरे बीस लाख छः हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) दिनांक 14.04.2023 तक शेष देय है व दिनांक 14.04.2023 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 17.04.2023 को

2
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर



रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि ऋण खाता PL 7180 में बकाया रूपये 20,06,170/- (अक्षरे बीस लाख छः हजार एक सौ सत्तर रूपये मात्र) दिनांक 14.04.2023 तक शेष देय है व दिनांक 14.04.2023 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक््योरिटीज एवं सिक््योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक््योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- सीता राम मेघवाल पुत्र श्री राम दयाल मेघवाल मालिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग, प्लॉट नं. 06 और 07, श्री रामदेव कॉलोनी, मौजा ग्राम शिव तहसील मेडता जिला नागौर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 368.05 वर्ग गज है, सम्पत्ति विवरण प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग पूर्व में- प्लॉट नं. 03 छोटा राम पुत्र हरजी राम, पश्चिम में-प्लॉट नं. 04 का शेष भाग, उत्तर में- निकाल एवं ग्रामीण सडक, दक्षिण में-छोटा राम पुत्र हरजी राम का प्लॉट नं. 06 एवं प्लॉट नं. 06 व 07 पूर्व में-केशुडी का प्लॉट नं. 08 एवं 09, पश्चिम में-प्लॉट नं. 05, उत्तर में-मिदुडी पत्नी भंवरू राम का प्लॉट नं. 02 एवं भंवरी पत्नी छोटा राम का प्लॉट नं. 03 एवं प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग, दक्षिण में-निकाल रास्ता 25 फिट, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से लोन खाता संख्या PL 7180 में ऋण राशि रूपये 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.04.2019 प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला




मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - सीता राम मेघवाल पुत्र श्री राम दयाल मेघवाल मालिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग, प्लॉट नं. 08 और 07, श्री रामदेव कॉलोनी, मौजा ग्राम शिव तहसील मेडता जिला नागौर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप 368.05 वर्ग गज है, सम्पत्ति विवरण प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग पूर्व में- प्लॉट नं. 03 छोटा राम पुत्र हरजी राम, पश्चिम में-प्लॉट नं. 04 का शेष भाग, उत्तर में- निकाल एवं ग्रामीण सड़क, दक्षिण में-छोटा राम पुत्र हरजी राम का प्लॉट नं. 08 एवं प्लॉट नं. 06 व 07 पूर्व में-केशुडी का प्लॉट नं. 08 एवं 09, पश्चिम में-प्लॉट नं. 05, उत्तर में-मिदुडी पत्नी भंवरू राम का प्लॉट नं. 02 एवं भंवरी पत्नी छोटा राम का प्लॉट नं. 03 एवं प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग, दक्षिण में-निकाल रास्ता 25 फिट, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।




(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर